रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 1, 2019/पौष 11, 1940
No. 3] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 1, 2019/PAUSHA 11, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसंबर, 2018

का.आ. 06(अ).— प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 431(अ) तारीख 30 जनवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं किए गए;

और, बखीरा पक्षी अभयारण्य, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह **28.94 वर्ग किलोमीटर** क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, अभयारण्य में बड़ी संख्या में विविध प्रकार के प्रवासी और निवासी पक्षियों के खुले पर्यावास है। अभयारण्य में पक्षियों के अलावा विविध वृक्षों, झाड़ियों और हाइड्रोफाइटस का भी यही केंद्र है । शीतकाल में यहां लगभग 30 प्रजातियां लगभग 40,000 पक्षी पाये जाते हैं और इस अभयारण्य में आने वाले महत्वपूर्ण पक्षी ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीबे (*पॉडिसप्स क्रिस्टेटस*), लिटिल ग्रेबे (*पॉडिसप्स रूफिकोलिस*), लार्ज कारमोरेंट (*फालाकोक्रोरैक्स कार्बो*), इंडियन शाग (*फालाकोक्रोरैक्स फ्यूस्कोलिस*), डार्टर (*अर्निंगा रूफा*), ग्रे हेरॉन (*आर्देया सिनेरेरा*), पर्पल हेरॉन (*आर्देआ परपुरेया*), लिटिल ग्रीन हेरॉन (*आर्देशिया स्ट्रैटस*), पॉण्ड हेरॉन (*आर्देशिया ग्रेई*), लिटिल एग्रेट (*एग्रेट्टा गारज़ेटा*), नाइट हेरॉन (*निक्कोकोरिक्स नाइटिकोरैक्स*), लिटिल बिटरर्न (*आईक्सोब्रीचस मिन्यूटस*), ब्लैक बिटरर्न (*आईक्सोब्रिचस फ्लैविकोलिस*), पेंटेड स्टोर्क (*माईटेरिया लियूकोसेफला*), ओपनबिल्ड स्टोर्क (*अनास्टोमस ऑसीटान*), ब्लैक स्टोर्क (*सिकोनिया निग्रा*), ब्लैकनेक्ड स्टोर्क (*एफ़िपोर हाइन्चस एशियाटिकस*), व्हाइट इब्स (*थ्रेसकीर्निस एथियोपिका*), बार हेडेड गुज़ (*एसर इंडिकस*), लेसर व्हिस्लिंग टील (*डेंड्रोसिग्ना जावनिका*), ब्राह्ममिनी डक (*ताडोर्मिया फेरगिनिया*), पिंटेल (*ताडोर्न फेरुगिन*), शोवेलर (*अनास क्लाइपाटा*), रेड क्रिस्टेड पोकार्ड (नेटटा रूफिना), टफड

डक (*अयथा फुलिगुला*), काटन टील (*नेटटापस कोरोमंडेलियन*), कॉम्ब डक (*सर्किडियोरिस मेलेनोटोस*), ब्लैक विंगड काइट (*एलानस कैरिलियस*), ब्लैक क्रिस्टेड बाजा (*एविसेडिया लीफोट्स*), ब्लैक काइट (*मिल्वस माइग्रन्स माइग्रन्स*), गोशाक (*एसिस्पिटर जेनटिलिस*), स्पैरो हॉक (*एसिपिटर निसस मेलाचिसतान*), व्हाइट आइड बज़र्ड (*बुटास्टुर तीसा*), तावनि ईगल (*क्लीला रैपैक्स विंधियाना*), ग्रेट स्पॉट ईगल (*औइला क्लंगा*), इंडियन ग्रिफॉन (*जिप्स फुलवस*), हेन हैरियर (*सर्कस साइनेस*) आदि को अभयारण्य में अभिलिखित किया गया है।

और, इस क्षेत्र की वनस्पति का प्रतिनिधित्व अर्ध-शुष्क वनस्पति करती है और उत्तर भारत के मैदान के तालाब में प्ररुपी जलीय वनस्पति है । बखीरा झील ऊपरी गंगा प्रणाली के लिए प्ररुपी पौधों की विविधता का समर्थन करती है। इसमें पटेरा कल्टेल (*टाइफा लैटिफोलिया*), पटेरा (*टाइफा एंजस्टिफोलिया*), बान रीड (*स्पार्गानियम फ्लक्टन*), पॉण्ड वीड (*पोटामागेटन फिलीफोर्मिस वेरबोरेलिस*), पॉण्ड वीड (*पोटामागेटन कैप्लिलेसस*), हॉर्नड पॉण्ड वीड (*ज़लीहिचेल्लिया पालस्ट्रिस*), बुशी पॉण्ड वीड (*नाज माइनर*), लिम्फोफीटन (*लिमोनोफिटन एन्सेसिफोलियम*), एरो हेड डक पोटैटो (*सगीतिरिया गियायायनेंसिस*), वाटर प्लांटैन (*एलिस्मा प्लांटगोआक्वाटिका*), वाइल्ड सेलेरी (*वालिसिनिया अमरिकाना*), टेप ग्रास (*वालिसिनिया सर्पिलिस*), फ्रोगबिट (*लिमोनोबियम स्पोंगिया*), बहामा ग्रास (*सिनोडन डैक्टिलॉन*), वाइल्ड राइस (*ज़िज़ानिया एक्वाटिक*), कानस (*सचारम स्पोंटेनियम*) लव ग्रास (*एरेग्रास्टिक हाइप्लोइडस*), फॉक्स टेल (*एलोपेसुरुस एक्वालिस*) आदि सम्मिलित है।

और, बखीरा पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में बखीरा पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को बखीरा पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं, अर्थात्:-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन 35.46 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत होगा जिसका विस्तार बखीरा पक्षी अभयारण्य, जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, उसकी सीमा के चारो ओर 1 किलोमीटर तक है (26° 54' 26. 91" उत्तर अक्षांश से 83° 8' 55. 75" पूर्वी देशांतर) है।

(2) बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) भू-निर्देशांकों के साथ और पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा का सीमाकंन करने वाला और बखीरा पक्षी अभयारण्य का मानचित्र और भूमि उपयोग पैटर्न **उपाबंध II क** और **ग** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) बखीरा पक्षी अभयारण्य की सीमा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** की सारणी क और ख के में दी गई है ।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के सामंजस्य से तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी बातों को समाकलित करने के लिए राज्य के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिका;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि;

(viii) उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग ।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न किया जाए और उक्त आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और कार्य कलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का सुधार करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का तथा समर्थक मानचित्र के साथ अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण संलग्न होगा ।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए पैरा 4 की सारणी में सूची बद्ध विनियमित करेगी और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध, विनियम और संवर्धित क्रियाकलापों का अनुसरण करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे पारिस्थितिकी अनुकूल विकास स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया जा सके ।

(10) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार में अपने कृत्यों का पालन करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज इस प्रकार अनुमोदित करेगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग. –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या मुख्य निवासिय परिसर या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

(i) पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल कुटीर जैसे टैंट, काष्ठ गृह;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(iii) कुटीर, उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(vi) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटी के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनरोपन तथा प्राकृतिक आवास पुनःरुधार क्रियाकलापों के साथ अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों या उनके निकट विकास क्रियाकलापों जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक है, को प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा।

(3) **पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य पर्यावरण विभाग और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से

IndiaCode

एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नये होटलों और सैरगाहों का स्थापन केवल पूर्व परिनिश्चित और पदाभिहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार, पारिस्थितिकी पर्यटन, पर जोर देते हुए के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/सैरगाह या वाणिज्यिक स्थापन के संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण की योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और उसके संशोधनों के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण तत्वों के निस्सारण के लिए सामान्य मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में परिलक्षित प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट** - जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में परिलक्षित प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल रीति से विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत नियमों और उस के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन की निगरानी करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुपालन में किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए किए गए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक इकाईयां: -**

(i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या प्रकाशन के पश्चात्, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के वर्गीकरण के अनुसार सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित करेगी जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

IndiaCode

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाईयां।	(क) नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रकिया।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग और उद्योगों में विद्यमान प्रदूषण का विस्तार अनुज्ञा नहीं होगी। फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषण उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा इसके अतिरिक्त कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
5.	बृहत जल विद्युत परियोजनाओं का स्थापन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	प्लास्टिक बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बहार या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, सभी

		नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरुप होगा ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में जिस में ग्रह वास भी है सहायक हो; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलाप की सूची : परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, कृषि उद्यान, कृषि आधारित उद्योग जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से बने उत्पादों का उत्पादन करते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एन एफ पी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

IndiaCode

15.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	नागरिक सुख-सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
18.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियों दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए अनुज्ञात विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	फर्म, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्रावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआ, बोर कुआ, आदि ।	विनियमित और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की कठोर रुप से मानीटरी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

IndiaCode

32.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाना है।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, अंतिम अधिसूचना के प्रावधानों के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का इस अधिसूचना के तीन माह के अंतर्गत गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	जिला मजिस्ट्रेट, संत कबीर नगर	अध्यक्ष;
(ख)	पुलिस अधीक्षक/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश	सदस्य;
(ग)	कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश	सदस्य;
(घ)	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग, संत कबीर नगर	सदस्य;
(ङ)	पर्यावरण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (एन जी ओ) का एक वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(च)	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिकी के क्षेत्र में एक वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(छ)	जिला कृषि अधिकारी, संत कबीर नगर	सदस्य;
(ज)	वन्यजीव वार्डन, लुप्तप्राय प्रजातियां, यूपी, लखनऊ	सदस्य;
(झ)	प्रादेशिक अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संत कबीर नगर	सदस्य;

IndiaCode

(ञ)	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वन प्रभाग, संत कबीर नगर	सदस्य सचिव।

6. निर्देश–निबंधन.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध V** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/167/2015-ई एस जेड-आर ई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढकोटी, वैज्ञानिक 'जी'

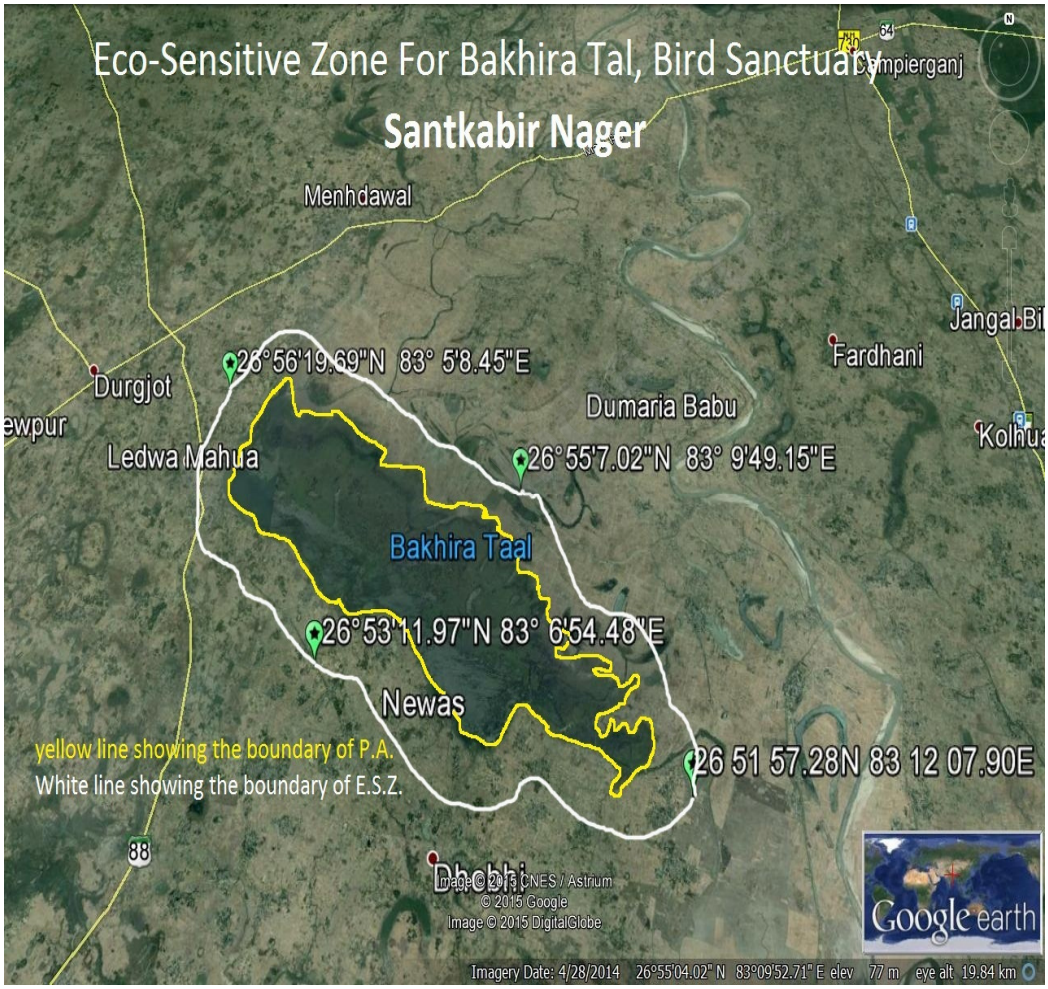
उपाबंध I

बखीरा पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला में बखीरा पक्षी अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के क्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन के उत्तर अक्षांश 26^{0}52’56.86” से 26^{0}56’0.10”उ और पूर्व देशांतर 83^{0}12’08.96” से 83^{0}05’43.53”पू के बीच स्थित है।

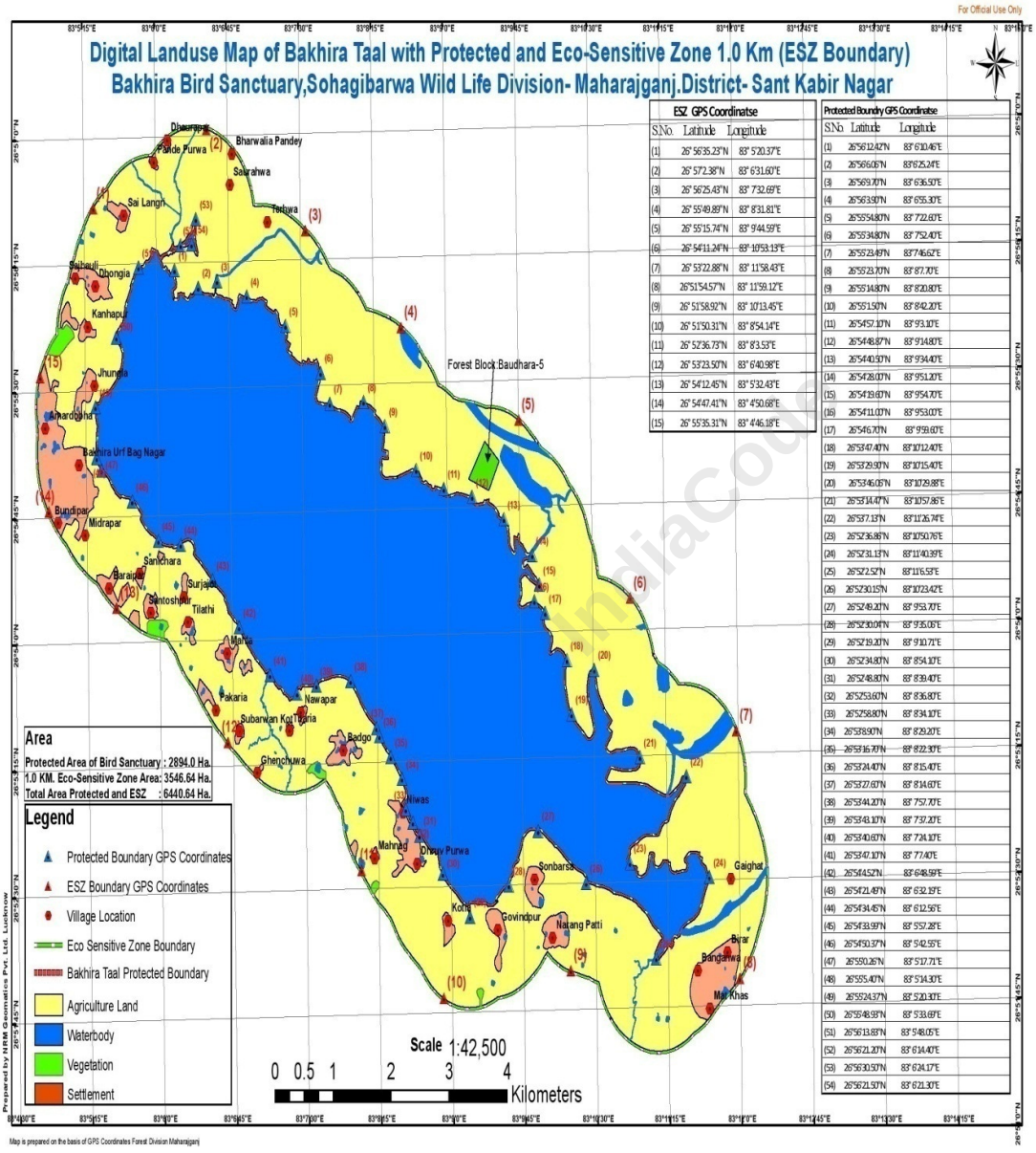
उपाबंध-IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन एवं बखीरा पक्षी अभयारण्य का गुगल मानचित्र



उपाबंध-IIख

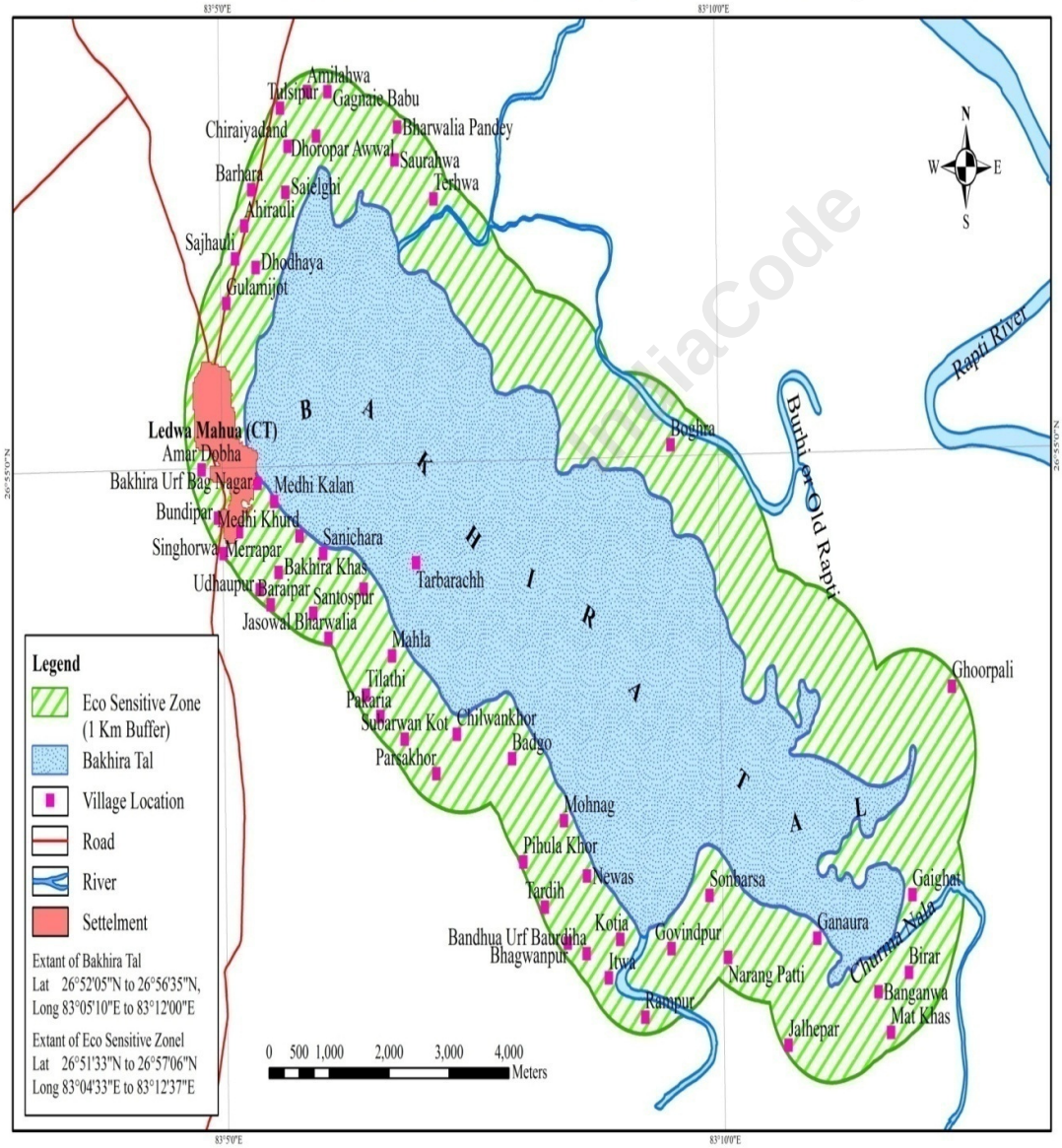
भारत के सर्वेक्षण (एसओआई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ बखीरा पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-IIग

मानक रंग कोड में अवास्तविक भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) को दर्शाने वाले बखीरा पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा मानचित्र

MAP SHOWING SALIENT FEATURES WITHIN 1.0 KM BUFFER (ECO SENSITIVE ZONE) OF BAKHIRA TAL



उपाबंध-III

सारणी क: बखीरा पक्षी अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.स.	अक्षांश	देशांतर
1.	26° 56' 35.23" उ	83° 5' 20.37" पू
2.	26° 57' 2.38" उ	83° 6' 31.60" पू
3.	26° 56' 25.43" उ	83° 7' 32.69" पू
4.	26° 55' 49.89" उ	83° 8' 31.81" पू
5.	26° 55' 15.74" उ	83° 9' 44.59" पू
6.	26° 54' 11.24" उ	83° 10' 53.13" पू
7.	26° 53' 22.88" उ	83° 11' 58.43" पू
8.	26° 51' 54.57" उ	83° 11' 59.12" पू
9.	26° 51' 58.92" उ	83° 10' 13.45" पू
10.	26° 51' 50.31" उ	83° 8' 54.14" पू
11.	26° 52' 36.73" उ	83° 8' 3.53" पू
12.	26° 53' 23.50" उ	83° 6' 40.98" पू
13.	26° 54' 12.45" उ	83° 5' 32.43" पू
14.	26° 54' 47.41" उ	83° 4' 50.68" पू
15.	26° 55' 35.31" उ	83° 4' 46.18" पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

संरक्षित सीमा के जीपीएस निर्देशांक		
क्र.स.	**अक्षांश**	**देशांतर**
1.	26° 56' 12.42" उ	83° 6' 10.46" पू
2.	26° 56' 6.06" उ	83° 6' 25.24" पू
3.	26° 56' 9.70" उ	83° 6' 36.50" पू
4.	26° 56' 3.90" उ	83° 6' 55.30" पू
5.	26° 55' 54.80" उ	83° 7' 22.60" पू
6.	26° 55' 34.80" उ	83° 7' 52.40" पू
7.	26° 55' 23.49" उ	83° 7' 46.62 " पू
8.	26° 55' 23.70" उ	83° 8' 7.70" पू
9.	26° 55' 14.80" उ	83° 8' 20.80" पू
10.	26° 55' 1.50" उ	83° 8' 42.20" पू
11.	26° 54' 57.10" उ	83° 9' 3.10" पू

IndiaCode

12.	26° 54' 48.87" उ	83° 9' 14.80" पू
13.	26° 54' 40.50" उ	83° 9' 34.40" पू
14.	26° 54' 28.00" उ	83° 9' 51.20" पू
15.	26° 54' 19.60" उ	83° 9' 54.70" पू
16.	26° 54' 11.00" उ	83° 9' 53.00" पू
17.	26° 54' 6.70" उ	83° 9' 59.60" पू
18.	26° 53' 47.40" उ	83° 10' 12.40" पू
19.	26° 53' 29.90" उ	83° 10' 15.40" पू
20.	26° 53' 46.06" उ	83° 10' 29.88" पू
21.	26° 53' 14.47" उ	83° 10' 57.86" पू
22.	26° 53' 7.13" उ	83° 11' 26.74" पू
23.	26° 52' 36.86" उ	83° 10' 50.76" पू
24.	26° 52' 31.13" उ	83° 11' 40.39" पू
25.	26° 52' 2.52" उ	83° 11' 6.53" पू
26.	26° 52' 30.15" उ	83° 10' 23.42" पू
27.	26° 52' 49.20" उ	83° 9' 53.70" पू
28.	26° 52' 30.04" उ	83° 9' 35.06" पू
29.	26° 52' 19.20" उ	83° 9' 10.71" पू
30.	26° 52' 34.80" उ	83° 8' 54.10" पू
31.	26° 52' 48.80" उ	83° 8' 39.40" पू
32.	26° 52' 53.60" उ	83° 8' 36.80" पू
33.	26° 52' 58.80" उ	83° 8' 34.10" पू
34.	26° 53' 8.90" उ	83° 8' 29.20" पू
35.	26° 53' 16.70" उ	83° 8' 22.90" पू
36.	26° 53' 24.40" उ	83° 8' 15.40" पू
37.	26° 53' 27.60" उ	83° 8' 14.60" पू
38.	26° 53' 44.20" उ	83° 7' 57.70" पू
39.	26° 53' 43.10" उ	83° 7' 37.20" पू
40.	26° 53' 40.60" उ	83° 7' 24.10" पू
41.	26° 53' 47.10" उ	83° 7' 7.40" पू
42.	26° 54' 4.52" उ	83° 6' 48.59" पू
43.	26° 54' 21.49" उ	83° 6' 32.19" पू
44.	26° 54' 34.45" उ	83° 6' 12.56" पू
45.	26° 54' 33.99" उ	83° 5' 57.28" पू

IndiaCode

46.	26° 54' 50.37" उ	83° 5' 42.55" पू
47.	26° 55' 0.26" उ	83° 5' 17.71" पू
48.	26° 55' 5.40" उ	83° 5' 14.30" पू
49.	26° 55' 24.37" उ	83° 5' 20.30" पू
50.	26° 55' 48.98" उ	83° 5' 33.69" पू
51.	26° 56' 13.83" उ	83° 5' 48.05" पू
52.	26° 56' 21.20" उ	83° 6' 14.40" पू
53.	26° 56' 30.50" उ	83° 6' 24.17" पू
54.	26° 56' 21.50" उ	83° 6' 21.30" पू

<u>उपाबंध-</u>IV

भू-निर्देशांकों के साथ बखीरा पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों की सूची

बखीरा ताल के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम

क्र. सं.	ग्राम	अक्षांश	देशांतर
1.	अमरदोभा	उ 26° 55' 17.038"	पू 83° 4' 124"
2.	बदगो	उ 26° 53' 19.680"	पू 83° 7' 53.127"
3.	बखीरा उर्फ बाग नगर	उ 26° 55' 3.758"	पू 83° 5' 9.968"
4.	बनगंवा	उ 26° 51' 57.858"	पू 83° 11' 32.987"
5.	बरईपार	उ 26° 54' 19.529"	पू 83° 5' 28.025"
6.	भरवलिया पाण्डेय	उ 26° 56' 53.393"	पू 83° 6' 47.513"
7.	बिरार	उ 26° 52' 4.047"	पू 83° 11' 51.535"
8.	बुन्दीपार	उ 26° 54' 43.351"	पू 83° 4' 56.888"
9.	धौरापार	उ 26° 57' 1.178"	पू 83° 6' 5.492"
10.	धोन्गिया	उ 26° 56' 7.319"	पू 83° 5' 21.153"
11.	ध्रुव पुरवा	उ 26° 52' 35.576"	पू 83° 8' 38.410"
12.	गैघाट	उ 26° 52' 30.217"	पू 83° 11' 54.182"
13.	घेन्चुवा	उ 26° 53' 12.352"	पू 83° 6' 59.176"
14.	गोविन्दपुर	उ 26° 52' 14.296"	पू 83° 9' 28.321"
15.	झुन्गला	उ 26° 55' 31.849"	पू 83° 5' 20.008"
16.	कान्हापार	उ 26° 55' 52.964"	पू 83° 5' 16.369"
17.	कोटिया	उ 26° 52' 17.855"	पू 83° 8' 57.296"
18.	महला	उ 26° 53' 55.348"	पू 83° 6' 41.168"
19.	महनाग	उ 26° 52' 40.849"	पू 83° 8' 11.803"
20.	मट खास	उ 26° 51' 44.059"	पू 83° 11' 40.309"
21.	मिदरापार	उ 26° 54' 38.573"	पू 83° 5' 13.273"
22.	नारंग पट्टी	उ 26° 52' 10.884"	पू 83° 10' 2.442"

23.	नवापार	उ 26° 53' 33.642"	पू 83° 7' 26.849"
24.	निवास	उ 26° 52' 56.907"	पू 83° 8' 29.960"
25.	पकरिया	उ 26° 53' 35.105"	पू 83° 6' 33.736"
26.	पाण्डे पुरवा	उ 26° 56' 51.027"	पू 83° 5' 58.493"
27.	साई लंगरी	उ 26° 56' 32.352"	पू 83° 5' 39.576"
28.	सजहौली	उ 26° 56' 10.418"	पू 83° 5' 8.798"
29.	सनीचरा	उ 26° 54' 24.532"	पू 83° 5' 47.102"
30.	संतोषपुर	उ 26° 54' 10.469"	पू 83° 5' 53.887"
31.	सौरहवा	उ 26° 56' 42.314"	पू 83° 6' 45.815"
32.	सोनबरसा	उ 26° 52' 31.895"	पू 83° 9' 51.643"
33.	सुबरावन कोट	उ 26° 53' 27.247"	पू 83° 6' 48.339"
34.	सुरजाकोट	उ 26° 54' 15.879"	पू 83° 6' 14.624"
35.	तेरहवा	उ 26° 56' 28.796"	पू 83° 7' 9.194"
36.	तिलाथी	उ 26° 54' 6.817"	पू 83° 6' 17.045"
37.	तितरिया	उ 26° 53' 21.543"	पू 83° 7' 19.720"

IndiaCode

उपाबंध V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश । (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) (ब्यौरे उपाबंध के रुप में संलग्न किए जा सकेगे)।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं) ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

S.O. 06(E).— WHEREAS, a draft re-notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 431(E) dated the 30th January, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby

within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, no comments or objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft re-notification;

AND WHEREAS, Bakhira Bird Sanctuary is situated in district Sant Kabir Nagar in the State of Uttar Pradesh, covering an area of **28.94 square kilometers;**

AND WHEREAS, the sanctuary is an open habitat for a large variety of migratory and resident birds. Apart from birds, the Sanctuary has a variety of trees, shrubs, hydrophytes. About 40,000 birds belonging to about 30 species have been recorded during winters. The important birds visiting in this sanctuary are great crested grebe (*Podiceps cristatus),* little grebe (*Podiceps ruficolis),* large cormorant (*Phalacrocorax carbo),* Indian shag (*Phalacrocorax fuscicollis),* darter (*Anhinga rufa),* grey heron (*Ardea cinerea),* purple heron (*Ardea purpurea),* little green heron (*Ardecia striatus),* pond heron (*Ardecia grayii),* little egret (*Egretta garzetta),* night heron (*Nyctcorex nycticorax),* little bittern (*Ixobrychus minutus),* black bittern (*Ixobrychus flavicolis),* painted stork (*Mycteria leucocephala),* openbilled stork (*Anastomus oscitans),* black stork (*Ciconia nigra),* blacknecked stork (*Ephippor hynchus asiaticus),* white Ibis (*Threskiornis aethiopica),* bar headed goose (*Aser indicus),* lesser whistling teal (*Dendrocygna javanica),* brahminy duck (*Tadorma ferruginea),* pintail (*Tadorna ferruginea),* shoveller (*Anas clypeata),* red crested pochard (*Netta rufina),* tuffed duck (*Aythya fuligula),* cotton teal (*Nettapus coromandelianus),* comb duck (*Sarkidiornis melanotos),* black winged kite (*Elanus caeruleus),* black crested baza (*Avicedia leuphotes),* black kite (*Milvus migrans migrans),* goshawk (*Accipiter gentilis),* sparrow hawk (*Accipiter nisus melaschistas),* white eyed buzzard (*Butastur teesa),* tawny eagle (*Aquila rapax vindhiana),* great spotted eagle (*Auila clanga),* Indian griffon (*Gyps fulvus),* hen harrier (*Circus cyaneus),* etc. have been recorded in the sanctuary;

AND WHEREAS, the flora of this area is represented by semi-arid vegetation and a typical aquatic vegetation of the lake in plains of North India. The Bakhira Lake supports a variety of aquatic plants typical to the upper Gangetic system. It includes patera cultail (*Typha latifolia),* patera (*Typha angustifolia),* ban reed (*Sparganium fluctans),* pond weed (*Potamageton filiformis varborealis),* pond weed (*Potamageton caplillaceas),* horned pond weed (*Zalihichellia palustris),* bushy pond weed (*Najas minor),* limnophyton (*Limnophyton obtusifolium),* arrow head duck potato (*Sagittiaria gigayanensis),* water plantain (*Alisma plantagoaquatica),* wild celery (*Vallisneria americana),* tape grass (*Vallisneria spiralis),* frogbit (*Limnobium spongia),* bahma grass (*Cynodon dactylon),* wild rice (*Zizania aquatic),* kans (*Saccharum spontaneum),* love grass (*Eragrastic hypnoides),* fox tail (*Alopecurus aequalis)*, etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Bakhira Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent upto one kilometers around the boundary of the Bakhira Bird Sanctuary in the State of Uttar Pradesh as the Bakhira Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall spread over an area of **35.46 square kilometres,** the extent of which shall be one kilometre uniform around the boundary of the Bakhira Bird Sanctuary situated in the Sant Kabir Nagar district (260 54' 26.91" N Latitude 830 8' 55.75" E Longitude) of Uttar Pradesh.

 (2) The boundary description of Bakhira Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I.**

 (3) The map of the Bakhira Bird Sanctuary demarcating the Eco-sensitive Zone boundary and landuse pattern along with geo co-ordinates is appended in **Annexure – IIA, Annexure – IIB** and **Annexure – IIC**.

 (4) The list of geo-coordinates of the boundary of Bakhira Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are given in table **A** and **B** of **Annexure-III.**

 (5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in

the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest,
(iii) Urban Development,
(iv) Tourism,
(v) Municipal,
(vi) Revenue,
(vii) Agriculture,
(viii) Uttar Pradesh State Pollution Control Board,
(ix) Irrigation, and
(x) Public Works Department,

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:-

(i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;
(ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(iii) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:
(iv) rainwater harvesting;
(v) small scale industries not causing pollution and
(vi) promoted activities given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. However, beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

IndiaCode

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio medical waste management shall be as under:-

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management. - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and Demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution. - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units. – (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
5.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
		B. Regulated Activities
10.	Commercial establishment of hotels	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one

IndiaCode

	and resorts.	kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) Promoted activities listed in this Notification: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale nonpolluting industries.	Nonpolluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated as per applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated as per applicable law. Underground cabling may be promoted.

16.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per applicable laws.
19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose as per applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated as per applicable laws.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per applicable laws.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management.	Regulated as per applicable laws.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	**C. Promoted Activities**	
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted

MediaCode

37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Environmental Awareness.

4. Monitoring Committee.- The Central Government constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

(a)	District Magistrate, Sant Kabir Nagar	Chairman
(b)	Superintendent of Police/ Senior Superintendent of Police, Sant Kabir Nagar Uttar Pradesh	Member;
(c)	Executive Engineer of Public Works Department, Sant Kabir Nagar Uttar Pradesh	Member;
(d)	Executive Engineer of Irrigation Department, Sant Kabir Nagar	Member;
(e)	One representative of a Non Governmental Organization (NGO) working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Uttar Pradesh for a period of one year	Member;
(f)	One expert in the area of ecology from reputed Institution or University of the State of Uttar Pradesh to be nominated by the Government of Uttar Pradesh for a period of one year	Member;
(g)	District Agriculture Officer, Sant Kabir Nagar	Member;
(h)	Wildlife Warden, Endangered Species, UP, Lucknow	Member;
(i)	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Sant Kabir Nagar	Member;
(j)	Divisional Director, Social Forestry Division, Sant Kabir Nagar	Member-Secretary

IndiaCode

5. Terms of Reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/167/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, scientist 'G'

ANNEXURE- I

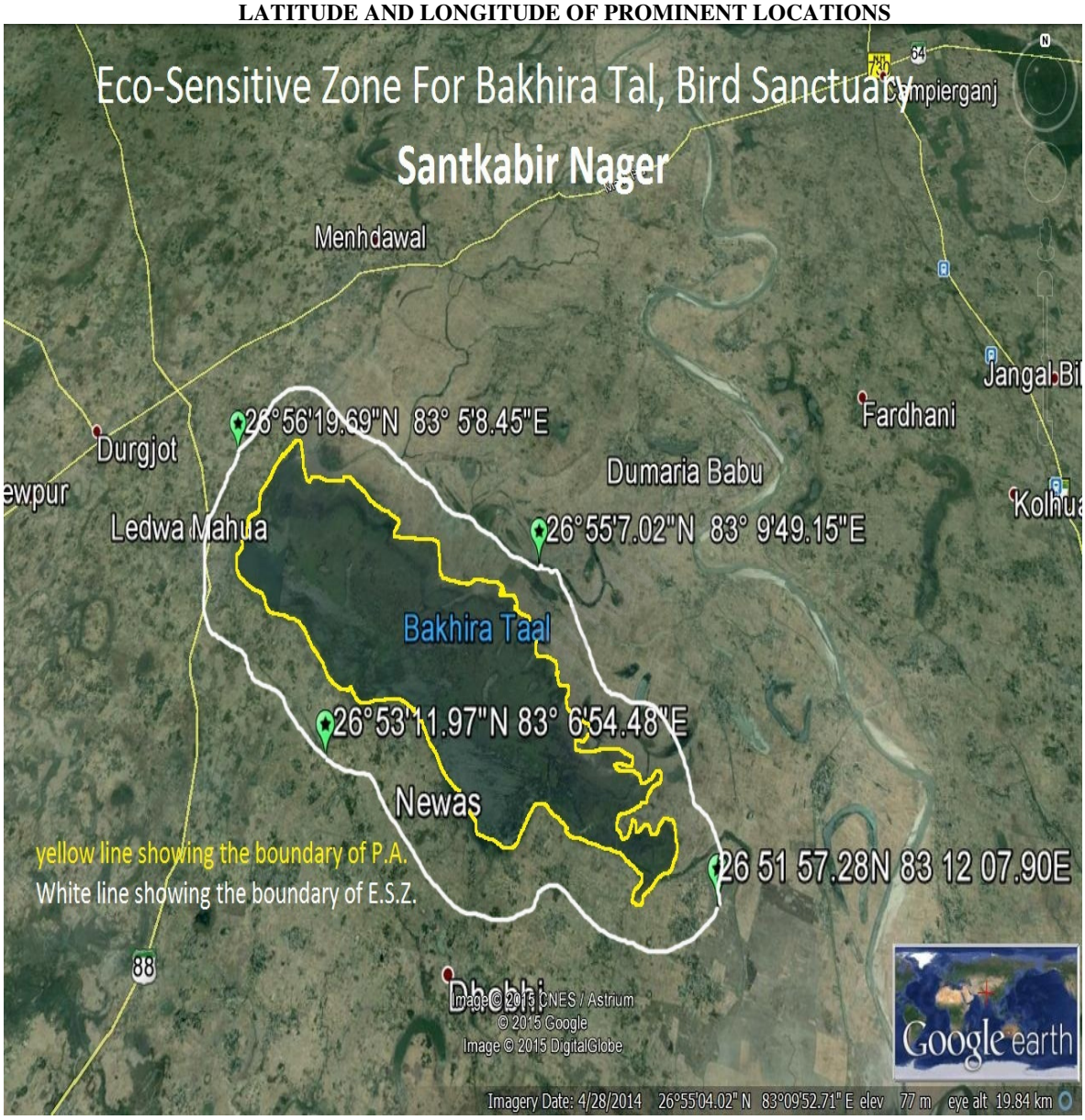
BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE BAKHIRA BIRD SANCTUARY, UTTAR PRADESH

The said Eco-sensitive Zone is the area up to one kilometer from the boundary of the protected area of Bakhira Bird Sanctuary situated in the Sant Kabir Nagar District of Uttar Pradesh between $26^0$52'56.86" to $26^0$56'0.10"N North latitude and $83^0$12'08.96" to $83^0$05'43.53"E East longitude.

IndiaCode

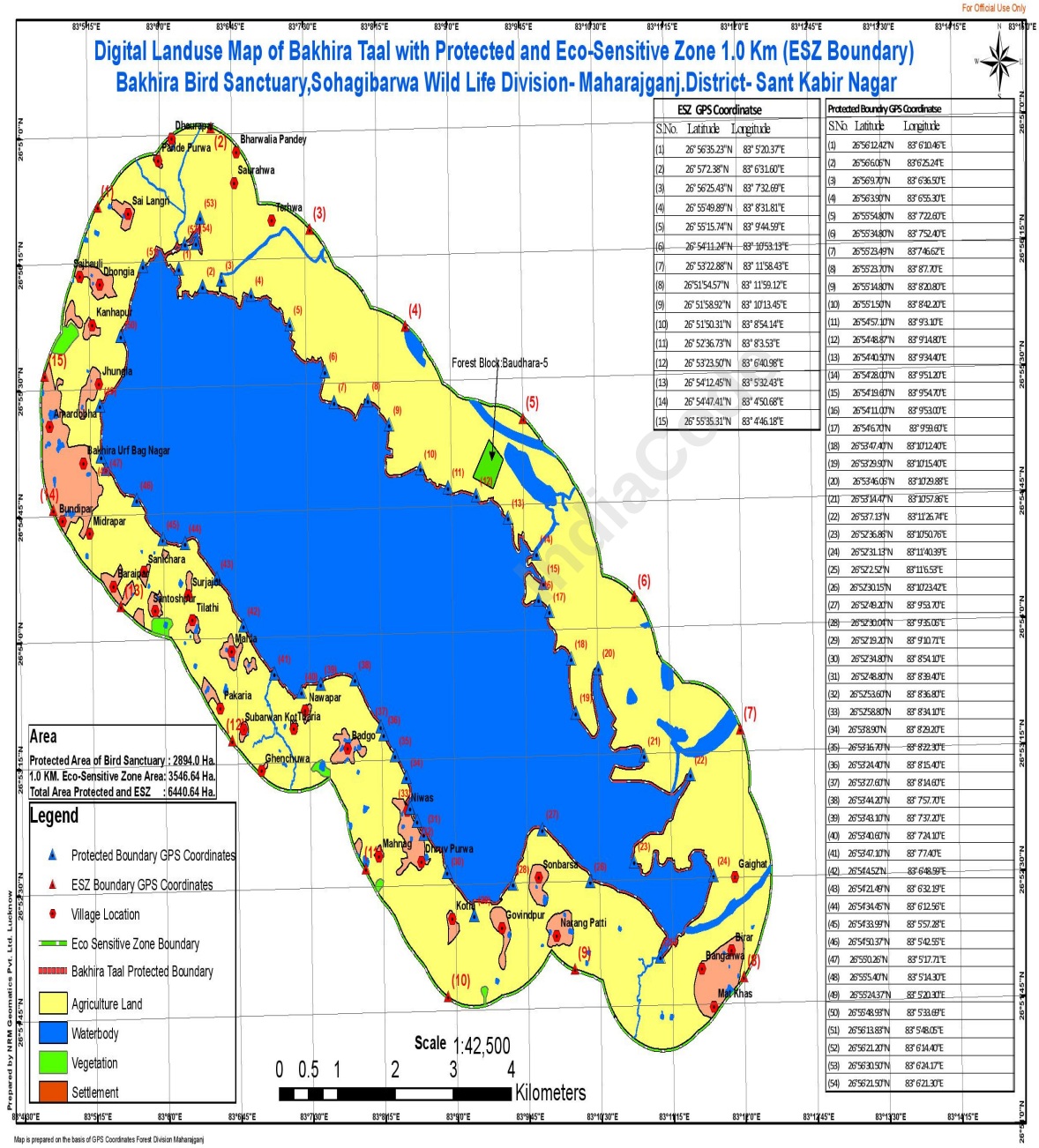
ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF BAKHIRA BIRD SANCTUARY & ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIB

LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BAKHIRA BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ESZ GPS Coordinatse

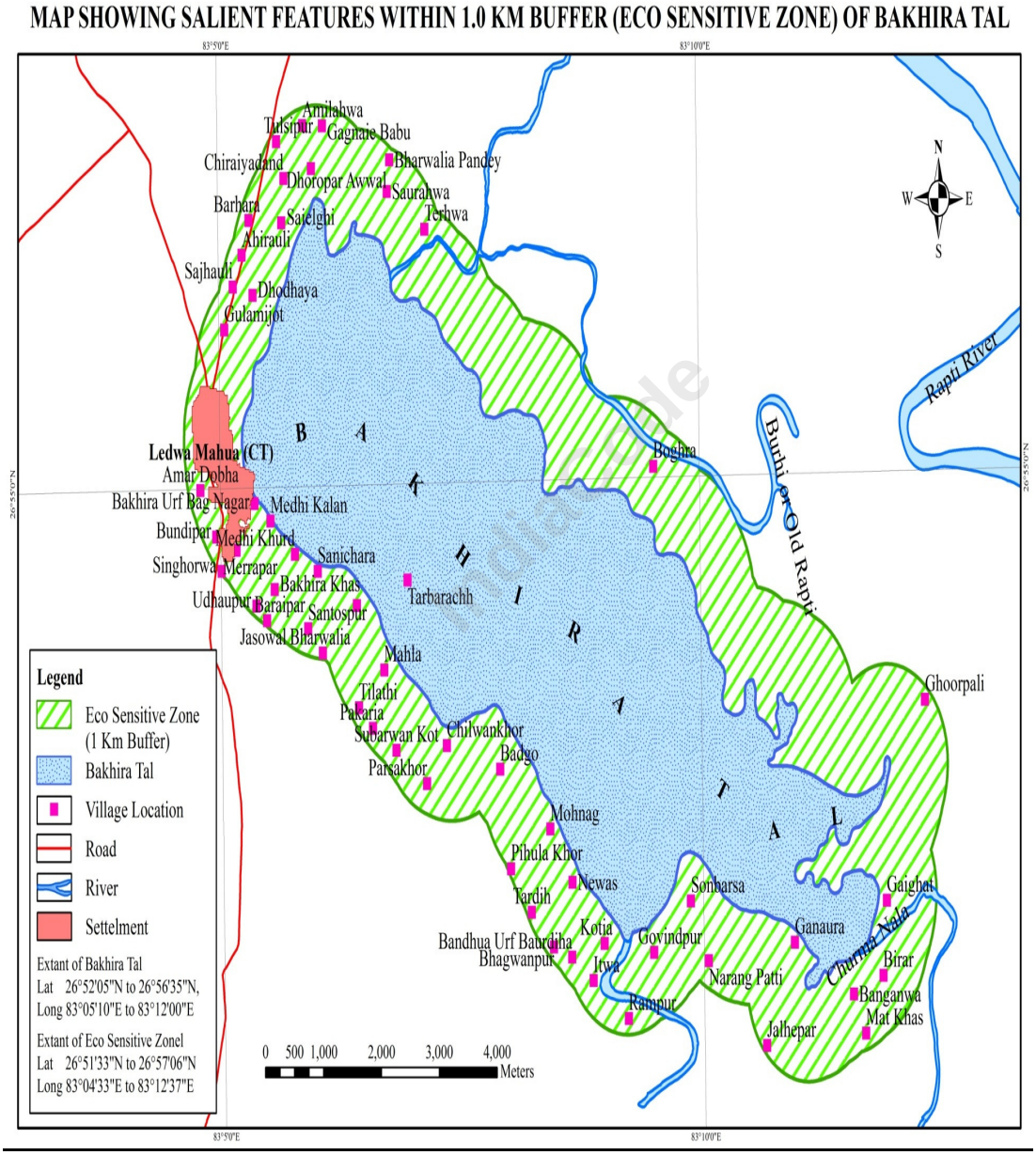
S.No.	Latitude	Longitude
(1)	26° 56'35.23"N	83° 5'20.37"E
(2)	26° 57'2.38"N	83° 6'31.60"E
(3)	26° 56'25.43"N	83° 7'32.69"E
(4)	26° 55'49.89"N	83° 8'31.81"E
(5)	26° 55'15.74"N	83° 9'44.59"E
(6)	26° 54'11.24"N	83° 10'53.13"E
(7)	26° 53'22.88"N	83° 11'58.43"E
(8)	26°51'54.57"N	83° 11'59.12"E
(9)	26° 51'58.92"N	83° 10'13.45"E
(10)	26° 51'50.31"N	83° 8'54.14"E
(11)	26° 52'36.73"N	83° 8'3.53"E
(12)	26° 53'23.50"N	83° 6'40.98"E
(13)	26° 54'12.45"N	83° 5'32.43"E
(14)	26° 54'47.41"N	83° 4'50.68"E
(15)	26° 55'35.31"N	83° 4'46.18"E

Protected Boundry GPS Coordinatse

S.No.	Latitude	Longitude
(1)	26°56'12.42"N	83° 6'10.46"E
(2)	26°56'6.05"N	83°6'25.24"E
(3)	26°56'9.70"N	83° 6'36.50"E
(4)	26°56'3.90"N	83° 6'55.30"E
(5)	26°55'54.80"N	83° 7'22.60"E
(6)	26°55'34.80"N	83° 7'52.40"E
(7)	26°55'23.49"N	83°7'46.62"E
(8)	26°55'23.70"N	83° 8'7.70"E
(9)	26°55'14.80"N	83° 8'20.80"E
(10)	26°55'1.50"N	83° 8'42.20"E
(11)	26°54'57.10"N	83° 9'3.10"E
(12)	26°54'48.87"N	83° 9'14.80"E
(13)	26°54'40.50"N	83° 9'34.40"E
(14)	26°54'28.07"N	83° 9'51.20"E
(15)	26°54'19.60"N	83° 9'54.70"E
(16)	26°54'11.07"N	83° 9'53.00"E
(17)	26°54'6.70"N	83° 9'59.60"E
(18)	26°53'47.40"N	83°10'12.40"E
(19)	26°53'29.90"N	83°10'15.40"E
(20)	26°53'46.05"N	83°10'29.88"E
(21)	26°53'14.47"N	83°10'57.86"E
(22)	26°53'7.13"N	83°11'26.74"E
(23)	26°52'36.88"N	83°10'50.76"E
(24)	26°52'31.13"N	83°11'40.39"E
(25)	26°52'2.52"N	83°11'6.53"E
(26)	26°52'30.15"N	83°10'23.42"E
(27)	26°52'49.20"N	83° 9'53.70"E
(28)	26°52'30.04"N	83° 9'35.06"E
(29)	26°52'19.20"N	83° 9'10.71"E
(30)	26°52'34.80"N	83° 8'54.10"E
(31)	26°52'48.80"N	83° 8'39.40"E
(32)	26°52'53.60"N	83° 8'36.80"E
(33)	26°52'58.80"N	83° 8'34.10"E
(34)	26°53'8.90"N	83° 8'29.20"E
(35)	26°53'16.70"N	83° 8'22.30"E
(36)	26°53'24.40"N	83° 8'15.40"E
(37)	26°53'27.60"N	83° 8'14.60"E
(38)	26°53'44.20"N	83° 7'57.70"E
(39)	26°53'43.10"N	83° 7'37.20"E
(40)	26°53'40.60"N	83° 7'24.10"E
(41)	26°53'47.10"N	83° 7'7.40"E
(42)	26°54'4.52"N	83°6'48.59"E
(43)	26°54'21.49"N	83° 6'32.19"E
(44)	26°54'34.45"N	83° 6'12.56"E
(45)	26°54'33.99"N	83° 5'57.28"E
(46)	26°54'50.37"N	83° 5'42.55"E
(47)	26°55'0.26"N	83° 5'17.71"E
(48)	26°55'5.40"N	83° 5'14.30"E
(49)	26°55'24.37"N	83° 5'20.30"E
(50)	26°55'48.93"N	83° 5'33.69"E
(51)	26°56'13.83"N	83° 5'48.05"E
(52)	26°56'21.20"N	83° 6'14.40"E
(53)	26°56'30.50"N	83° 6'24.17"E
(54)	26°56'21.50"N	83° 6'21.30"E

ANNEXURE- IIC

BOUNDARY MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BAKHIRA BIRD SANCTUARY SHOWN SURVEY OF INDIA (SOI) IMAGINARY IN STANDARD COLOUR CODE



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF BAKHIRA BIRD SANCTUARY, UTTAR PRADESH

S. No.	Latitude	Longitude
1.	26° 56’ 35.23” N	83° 5’ 20.37” E
2.	26° 57’ 2.38” N	83° 6’ 31.60” E
3.	26° 56’ 25.43” N	83° 7’ 32.69” E
4.	26° 55’ 49.89” N	83° 8’ 31.81” E
5.	26° 55’ 15.74” N	83° 9’ 44.59” E
6.	26° 54’ 11.24” N	83° 10’ 53.13” E
7.	26° 53’ 22.88” N	83° 11’ 58.43” E
8.	26° 51’ 54.57” N	83° 11’ 59.12” E
9.	26° 51’ 58.92” N	83° 10’ 13.45” E
10.	26° 51’ 50.31” N	83° 8’ 54.14” E
11.	26° 52’ 36.73” N	83° 8’ 3.53” E
12.	26° 53’ 23.50” N	83° 6’ 40.98” E
13.	26° 54’ 12.45” N	83° 5’ 32.43” E
14.	26° 54’ 47.41” N	83° 4’ 50.68” E
15.	26° 55’ 35.31” N	83° 4’ 46.18” E

IndiaCode

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Protected Boundary Geo-coordinates		
S. No.	**Latitude**	**Longitude**
1.	26° 56’ 12.42” N	83° 6’ 10.46” E
2.	26° 56’ 6.06” N	83° 6’ 25.24” E
3.	26° 56’ 9.70” N	83° 6’ 36.50” E
4.	26° 56’ 3.90” N	83° 6’ 55.30” E
5.	26° 55’ 54.80” N	83° 7’ 22.60” E
6.	26° 55’ 34.80” N	83° 7’ 52.40” E
7.	26° 55’ 23.49” N	83° 7’ 46.62 ” E
8.	26° 55’ 23.70” N	83° 8’ 7.70” E
9.	26° 55’ 14.80” N	83° 8’ 20.80” E
10.	26° 55’ 1.50” N	83° 8’ 42.20” E
11.	26° 54’ 57.10” N	83° 9’ 3.10” E
12.	26° 54’ 48.87” N	83° 9’ 14.80” E
13.	26° 54’ 40.50” N	83° 9’ 34.40” E
14.	26° 54’ 28.00” N	83° 9’ 51.20” E
15.	26° 54’ 19.60” N	83° 9’ 54.70” E
16.	26° 54’ 11.00” N	83° 9’ 53.00” E
17.	26° 54’ 6.70” N	83° 9’ 59.60” E

18.	26° 53’ 47.40” N	83° 10’ 12.40” E
19.	26° 53’ 29.90” N	83° 10’ 15.40” E
20.	26° 53’ 46.06” N	83° 10’ 29.88” E
21.	26° 53’ 14.47” N	83° 10’ 57.86” E
22.	26° 53’ 7.13” N	83° 11’ 26.74” E
23.	26° 52’ 36.86” N	83° 10’ 50.76” E
24.	26° 52’ 31.13” N	83° 11’ 40.39” E
25.	26° 52’ 2.52” N	83° 11’ 6.53” E
26.	26° 52’ 30.15” N	83° 10’ 23.42” E
27.	26° 52’ 49.20” N	83° 9’ 53.70” E
28.	26° 52’ 30.04” N	83° 9’ 35.06” E
29.	26° 52’ 19.20” N	83° 9’ 10.71” E
30.	26° 52’ 34.80” N	83° 8’ 54.10” E
31.	26° 52’ 48.80” N	83° 8’ 39.40” E
32.	26° 52’ 53.60” N	83° 8’ 36.80” E
33.	26° 52’ 58.80” N	83° 8’ 34.10” E
34.	26° 53’ 8.90” N	83° 8’ 29.20” E
35.	26° 53’ 16.70” N	83° 8’ 22.90” E
36.	26° 53’ 24.40” N	83° 8’ 15.40” E
37.	26° 53’ 27.60” N	83° 8’ 14.60” E
38.	26° 53’ 44.20” N	83° 7’ 57.70” E
39.	26° 53’ 43.10” N	83° 7’ 37.20” E
40.	26° 53’ 40.60” N	83° 7’ 24.10” E
41.	26° 53’ 47.10” N	83° 7’ 7.40” E
42.	26° 54’ 4.52” N	83° 6’ 48.59” E
43.	26° 54’ 21.49” N	83° 6’ 32.19” E
44.	26° 54’ 34.45” N	83° 6’ 12.56” E
45.	26° 54’ 33.99” N	83° 5’ 57.28” E
46.	26° 54’ 50.37” N	83° 5’ 42.55” E
47.	26° 55’ 0.26” N	83° 5’ 17.71” E
48.	26° 55’ 5.40” N	83° 5’ 14.30” E
49.	26° 55’ 24.37” N	83° 5’ 20.30” E
50.	26° 55’ 48.98” N	83° 5’ 33.69” E
51.	26° 56’ 13.83” N	83° 5’ 48.05” E
52.	26° 56’ 21.20” N	83° 6’ 14.40” E
53.	26° 56’ 30.50” N	83° 6’ 24.17” E
54.	26° 56’ 21.50” N	83° 6’ 21.30” E

IndiaCode

ANNEXURE-IV

LIST OF REVENUE VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF BAKHIRA BIRD SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No.	VILLAGE	LATITUDE	LONGITUDE
1.	Amardobha	N 26° 55' 17.038"	E 83° 4' 124"
2.	Badgo	N 26° 53' 19.680"	E 83° 7' 53.127"
3.	Bakhira Urf Bag Nagar	N 26° 55' 3.758"	E 83° 5' 9.968"
4.	Banganwa	N 26° 51' 57.858"	E 83° 11' 32.987"
5.	Baraipar	N 26° 54' 19.529"	E 83° 5' 28.025"
6.	Bharwalia Pandey	N 26° 56' 53.393"	E 83° 6' 47.513"
7.	Birar	N 26° 52' 4.047"	E 83° 11' 51.535"
8.	Bundipar	N 26° 54' 43.351"	E 83° 4' 56.888"
9.	Dhaurapar	N 26° 57' 1.178"	E 83° 6' 5.492"
10.	Dhongia	N 26° 56' 7.319"	E 83° 5' 21.153"
11.	Dhruv Purwa	N 26° 52' 35.576"	E 83° 8' 38.410"
12.	Gaighat	N 26° 52' 30.217"	E 83° 11' 54.182"
13.	Ghenchuwa	N 26° 53' 12.352"	E 83° 6' 59.176"
14.	Govindpur	N 26° 52' 14.296"	E 83° 9' 28.321"
15.	Jhungla	N 26° 55' 31.849"	E 83° 5' 20.008"
16.	Kanhapar	N 26° 55' 52.964"	E 83° 5' 16.369"
17.	Kotia	N 26° 52' 17.855"	E 83° 8' 57.296"
18.	Mahla	N 26° 53' 55.348"	E 83° 6' 41.168"
19.	Mahnag	N 26° 52' 40.849"	E 83° 8' 11.803"
20.	Mat Khas	N 26° 51' 44.059"	E 83° 11' 40.309"
21.	Midrapar	N 26° 54' 38.573"	E 83° 5' 13.273"
22.	Narang Patti	N 26° 52' 10.884"	E 83° 10' 2.442"
23.	Nawapar	N 26° 53' 33.642"	E 83° 7' 26.849"
24.	Niwas	N 26° 52' 56.907"	E 83° 8' 29.960"
25.	Pakaria	N 26° 53' 35.105"	E 83° 6' 33.736"
26.	Pande Purwa	N 26° 56' 51.027"	E 83° 5' 58.493"
27.	Sai Langri	N 26° 56' 32.352"	E 83° 5' 39.576"
28.	Sajhauli	N 26° 56' 10.418"	E 83° 5' 8.798"
29.	Sanichara	N 26° 54' 24.532"	E 83° 5' 47.102"
30.	Santospur	N 26° 54' 10.469"	E 83° 5' 53.887"
31.	Saurahwa	N 26° 56' 42.314"	E 83° 6' 45.815"
32.	Sonbarsa	N 26° 52' 31.895"	E 83° 9' 51.643"
33.	Subrawan Kot	N 26° 53' 27.247"	E 83° 6' 48.339"
34.	Surjakot	N 26° 54' 15.879"	E 83° 6' 14.624"
35.	Terhwa	N 26° 56' 28.796"	E 83° 7' 9.194"
36.	Tilathi	N 26° 54' 6.817"	E 83° 6' 17.045"
37.	Titaria	N 26° 53' 21.543"	E 83° 7' 19.720"

Annexure-V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). (Details may be attached as Annexure).
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.01.07 19:29:20 +05'30'